# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः– 329/2007/रेफरेन्स**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. मंगलाराम श्यामाराम पि0 किशनाराम अहीर निवासी बहादुरपुरा तहसील दांतारामगढ़
2. रामदेव भैरू पि0 भींवा अहीर निवासी बहादुरपुरा तहसील दांतारामगढ़
3. पी.एन.बी. शाखा पलसाना

**अप्रार्थीगण**

**रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

वकील अप्रार्थी श्री मोहनसिंह मूण्ड
श्री जगदीश प्रसाद खर्रा

**निर्णय** **दिनांकः–16.12.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नांगल के पुराने ख0नं0 146, 147, 148, 153, 154 की खातेदारी जमाबंदी संख्या 2019–22 में माफी मंदिर श्री रघूनाथजी बहतमाम पुजारी रिछपालदास चेला गोविन्ददास जाति ब्राहमण सा0 भादरपुरा के नाम से एवं भीवा वल्द चेना किशना वल्द चन्दा अहीर 1/2 पुरा किशना खुद 1/2 उपकृषक के नाम से दर्ज थी जिसे मन्दिर का नाम हटाकर कृषक के नाम से नेनूराम रामदेवा व भेरू पि0 भींवा कोम अहीर 1/2 किशना पुत्र चन्द्रा 1/2 कोम अहीर भादरपुरा के नाम से दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 271 से किशना के बजाय खाता मगंलाराम श्यामाराम पिता किशना हि 1/2 दर्ज किया गया व नामान्तरकरण संख्या 38 से मंगलाराम श्यामाराम पि0 किशन का हिस्सा 1/2 रहन पंजाब नेशनल बैंक पलसाना खाता दर्ज किया गया। बंदोवस्त के दौरान पूराने खसरा नम्बर 146, 147, 148, 153, 154 के नये ख0 नं0 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 424 से 427 कुल रकबा 4.87 है0 परिवर्तित किये गये। तथा इनकी वर्तमान खातेदारी उपरोक्तानुसार दर्ज है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर हुये अवैध नामान्तरकरण संख्या 271, 38 का रेफरेंश श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री मोहनसिंह मूण्ड व जगदीश प्रसाद खर्रा उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहें। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री रघुनाथजी वाके देहतमाम पुजारी मानपालदा वल्द गोविन्ददास कोम ब्राहमण सा0 वसदपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी बहतमाम पुजारी रिछपालदास चेला गोविन्ददास जाति ब्राहमण सा0 भादरपुरा एवं कृषक के कॉलम में भींवा वल्द चेना किसना वल्द चन्द्रा अहीर सा0 भारपुरा किशना खुद 1/2 उपकृषकान के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है।

जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी नैनूराम रामदेवा व भैरू पि0 भींवा कौम अहीर सा0 भादरपुरा 1/2 हि.बराबर किसना पुत्र चन्द्रा कोम अहीर सा0 भादरपुरा 1/2 के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 271 मुताबिक विरासत से किशना के स्थान पर मंगलाराम श्यामाराम पि0 किशना हि0 1/2 हि.ब.अहीर सा0 बहादुरपुरा के नाम से तस्दीक कर दिया गया। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 146, 147, 148, 153, 154 के नये ख0 नं0 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 424 से 427 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 38 मुताबिक रहननामा के मंगलाराम श्यामाराम पि0 किशनाराम हि0 1/2 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना मूर्तहीन जाति अहीर के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नैनूराम रामदेव भैरू पि0 भींवा अहीर सा0 बहादुरपुरा हि0 1/2 राहिन मंगलाराम श्यामाराम पि0 किशनाराम हि0 1/2 हि.ब. पी.एन.बी. पलसाना मूर्तहीन जाति अहीर सा.बहादुरपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी श्री रघुनाथजी वाके देहतमाम पुजारी मानपालदा वल्द गोविन्ददास कोम ब्राहमण सा0 वसदपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी बहतमाम पुजारी रिछपालदास चेला गोविन्ददास जाति ब्राहमण सा0 भादरपुरा एवं कृषक के कॉलम में भींवा वल्द चेना किसना वल्द चन्द्रा अहीर सा0 भारपुरा किशना खुद 1/2 उपकृषकान के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है व जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी नैनूराम रामदेवा व भैरू पि0 भींवा कौम अहीर सा0 भादरपुरा 1/2 हि.बराबर किसना पुत्र चन्द्रा कोम अहीर सा0 भादरपुरा 1/2 के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 व जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 के द्वारा मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की भूमि को बिना किसी आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना अवैध है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 146, 147, 148, 153, 154 जिसके नये ख0नं0 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 424 से 427 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 271, 38 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर